<u>समयबद्ध/अनुस्मारक-।</u>
<u>बजट-2026-2027</u>
<u>संख्या-9/2025/बी-3-250/दस-2025</u>

प्रेषक

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 04 दिसम्बर, 2025

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु बजट सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु बजट सामग्री वित्त विभाग को विलम्बतम दिनांक 30.11.2025 तक उपलब्ध कराये जाने विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या-7/2025/बी-3-209/2025, दिनांक 24.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 24.10.2025 द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि प्रशासकीय विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का विवरण अधिकतम 05 पृष्ठों में कृतिदेव-10 फाण्ट में तैयार कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर से सम्बन्धित वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभागों को प्रेषित किया जायेगा तथा बजट भाषण की सामग्री भी हस्ताक्षरित हार्ड कापी के साथ-साथ साफ्ट कापी (MS WORD KRUTI DEV-10 FONT) में सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को ई-मेल/पेन ड्राइव द्वारा प्रेषित की जायेगी।

3- अवगत कराना है कि अधिकांश विभागों द्वारा बजट भाषण सामग्री उपलब्ध नहीं करायी गई है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित उक्त पत्र दिनांक-24.10.2025 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार व्यक्तिगत ध्यान देते हुए **निश्चित रूप से दिनांक-15.12.2025 तक** मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु बजट सामग्री अपने वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

<u>प्रतिलिपि</u>-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2- निजी सचिव, सचिव, वित, उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन प्रशासकीय विभागों से समन्वय कर मा0वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु समयान्तर्गत बजट सामग्री उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in